न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 3/2023 **GCMS 2023/8**

प्रार्थीगण

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. आनन्द कंवर पुत्री भंवरसिंह
5. कमलेश कुमारी पुत्री भंवरसिंह
6. राजकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत निवासियान पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान ।

प्रार्थना–पत्र बाबत इस्तकरार हक व रेकर्ड दुरूस्ती त्रुटी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 08/02/2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 483 रकबा 3.28 हैक्टर में 1/8 हिस्से की प्रार्थीगण के पिताजी नन्दसिंह पुत्र गंगासिंह की कब्जासुदा, खातेदारी भूमि अवस्थित है, प्रार्थीगण के पिताजी का स्वर्गवास दिनॉक 07.06.2021 को हो चुका है, खातेदार भंवरसिह पुत्र गंगासिंह के प्रार्थीगण ही विधिक वारिस उत्तराधिकारी हे, प्रार्थीगण के पिताजी का सही एव वास्तविक नाम भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह है जबकि गंगासिंह जी के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तरकरण में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम भंवरसिंह के स्थान पर नन्दसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है, भंवरसिंह के राजकीय सेवा में रहते हुये पीछे से ग्रामवासियो द्वारा प्रार्थीण के दादाजी गंगासिंह के फौतगी नामान्तरकरण कार्यवाही में भंवरसिंह के बोलता नाम नन्दसिंह लिखवा दिया गया, आधार कार्ड पेन कार्ड मतदाता पहचान पत्र ड्राईविंग लाईसेंस पेंशन डायरी इत्यादि में भंवरसिह पुत्र गंगासिंह नाम अभिलिखित है केवल मात्र उक्त भूल से उपरोक्त भूमि के खाते में अंकन में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह के स्थान पर नन्दसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज हो रखा है जबकि गंगासिह के एकमात्र संतान भंवरसिंह है वाद सं. 93/2013 भंवरसिह बनाम नाथूसिंह वगैरह न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया था न्यायालय हाजा के निर्णय दिनॉक 16.06.2015 के द्वारा मौजा पलाड़ा के खसरा नम्बर 54, 56, 57, 58 तथा खसरा नम्बर 239 में प्रार्थीगण के पिता नन्दसिंह पुत्र गंगासिंह के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रेकर्ड में दर्ज किया गया था, उपरोक्त वाद पत्र में मौजा सीतापुरा के खसरा नम्बर 483 को भी शामिल किया गया था लेकिन भूलवश तहसीलदार जी की रिपोर्ट में भूलवश उपरोक्त खसरा नम्बर 483 नही लिखा गया जिससे उपरोक्त खसरसा की भूमि में नाम शुद्वि नही किया गया। इसलिए प्रार्थना–प्रत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ, प्रार्थना–पत्र के साथ तहसीलदार रिपोर्ट व निर्णय की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई ह प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि उनके पिताजी का नाम उपरोक्तानुसा शुद्व किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। गत मुकदमा में पलाड़ा के खसरा नम्बर 10, 55, 56, 56, 57, 58, 239 में केम्प कोर्ट पलाड़ा दिनॉक 16.06.2015 को आदेश पारित कर उपरोक्त खसरान में नन्दसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत सा. देह खातेदार के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत सा. देह राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। पेनकार्ड *BCEOR5336R* अनुसार भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह, आधार कार्ड नं. 358988652251अनुसार भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र 28.06.2021 अनुसार भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह, पेंशनर आई डी कार्ड अनुसा भंवरसिंह एवं *Driving Licence- RJ14 19590008039* अनुसार भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज है *ELECTION COMMISSION OF INDIA* द्वारा जारी *IDEBTY CARD GSR/1792944* भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह दर्ज है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम नन्दसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत के बजाय भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह राजपूत राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था, उपलब्ध रेकार्ड से उपरोक्त तथ्य साबित होते है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 483 रकबा 3.28 हैक्टर में अंकित अशुद्व प्रविष्टि नन्दसिंह पुत्र गंगासिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा. देह के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा. देह दर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 8/2/2023 को सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:54:11 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
8/2/2023

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)